www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 01 | गोरखपुर, 29 जून 2025 रविवार | पृष्ठ : 4 | मूल्य : 2

अगले सप्ताह पांच देशों की यात्रा शुरू करेंगे मोदी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे ब्राजील

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने और वैश्विक दक्षिण के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए पांच देशों की यात्रा पर जाएंगे। मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी। नाम न बताने की शर्त पर लोगों ने बताया कि 2 जुलाई से शुरू होने वाली इस सप्ताह भर की यात्रा का मुख्य कार्यक्रम 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी की भागीदारी होगी। ब्रिक्स समूह के दो महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए इसे ब्राजील की द्विपक्षीय यात्रा के साथ जोड़ा जाएगा।

ब्रिक्स के सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा - यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को एक साथ लाता है - शिखर सम्मेलन में विश्व भर में संघर्षों के परिणामों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने पाकिस्तान के साथ हुई झड़पों के मद्देनजर भारतीय पक्ष सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान के लिए ब्लॉक का समर्थन मांग सकता है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील ने शिखर सम्मेलन के लिए अपनी प्राथमिकताओं के रूप में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग और साझेदारी को सूचीबद्ध किया है। रूस जैसे ब्रिक्स के अन्य सदस्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू मुद्राओं में अधिक व्यापार निपटान के साथ वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर जोर दे रहे हैं। भारतीय पक्ष ने इस यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, बावजूद इसके कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद नहीं है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बुधवार को बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद राजकीय रात्रिभोज के लिए मोदी को आमंत्रित करने से बीजिंग के निर्णय पर असर पड़ सकता है, क्योंकि शी को इस सम्मेलन में एक सहायक अभिनेता के रूप में देखा जा सकता है।

मनुष्य का अस्तित्व ही मातृशक्ति की बदौलत:ज्योतिरादित्य सिंधिया

गुना। केंद्रीय संचार और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गत दिनों शनिवार को गुना में डाक विभाग द्वारा आयोजित सुकन्या समृद्धि योजना पासबुक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र की 886 बालिकाओं के अपनी निजी राशि से खुलवाए गए सुकन्या समृद्धि खातों की पासबुक बच्चियों के परिजनों को वितरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि मनुष्य का अस्तित्व ही मातृशक्ति की बदौलत है। उन्होंने कहा कि आज नारियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अपना भविष्य खुद तय कर सकें।

सिंधिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के सशक्तिकरण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के रूप में जो बीज बोया था, आज वह वटवृक्ष के रूप में महिलाओं को छाया दे रहा है। डाक विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत आज देशभर में तीन करोड़ 60 लाख खाते खोले जा चुके हैं। आज इन खातों में 2 लाख करोड़ की राशि जमा है। वहीं गुना संसदीय क्षेत्र में अब तक 30 हजार खाते खुल चुके हैं। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने 2 महीने पहले निर्णय लिया कि 1 मई 2025 से 1 मई 2026 तक जितनी बच्चियों का जन्म मेरे संसदीय क्षेत्र यानी गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में होगा उन

सभी के खाते मैं अपनी निजी पैसे से खुलवाऊंगा। सिंधिया ने कहा कि मैंने बच्चियों के खाते खुलवाने की पहल इसलिए शुरू की, ताकि उनके भविष्य को एक उड़ान मिल सके और वे आगे जाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

कार्यक्रम में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि उनकी आजी अम्मा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कहा करती थीं- जो हाथ एक शिशु के पालने को झुला सकते हैं वो पूरे विश्व को भी चला सकते हैं। सिंधिया ने कहा कि राजमाता ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल खुलवाए, और बेटियों की शिक्षा के लिए संस्थान भी खोले। उन्होंने कहा कि वे नारी सशक्तिकरण की मिशाल थीं। इस दौरान सिंधिया ने अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुलार और फटकार अपनी अम्मा से मिलती थी।

अपने भाषण में सिंधिया ने बताया कि पिछले 15-16 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आया है। मध्यप्रदेश सरकार ने बेटियों के जन्म से ही उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजनाएं बनाई हैं। सिंधिया ने कहा कि जब हमारी बेटी 10वीं पास करती है तो उन्हें लैपटॉप दिया जाता है, कन्यादान योजना के अंतर्गत सरकार बेटी के विवाह में सहायता देती है, और विवाह के बाद लाडली बहना योजना के तहत हर माह 1250 रुपए उसके खाते में भेज दिए जाते हैं।

लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप मामले में चौथी गिरफ्तारी

कोलकाता। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है, जिसने आक्रोश पैदा किया है और त्वरित न्याय की मांग की है। रवींद्रनाथ बनर्जी के बेटे बनर्जी (55) कोलकाता के खरदाह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामनाथ घोष गार्डन रोड और कस्बा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महाबीर मल्टी जिम के पास नस्करहाट खालपार दक्षिणपारा के निवासी हैं। पिछले शनिवार को कॉलेज परिसर में हुई घटना में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए उन्हें कस्बा पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस समय वह ड्यूटी पर अकेला था या नहीं। घटना 25 जून की शाम को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई थी। अधिकारी ने कहा कि गार्ड ने इस बात का सही स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि उसने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की और तीनों आरोपियों को अपराध करने से क्यों नहीं रोका। साथ ही, उसे यह भी बताना होगा कि वह क्यों और किसके निर्देश पर अपना कमरा छोड़कर गया। यह भी अपराध में एक तरह की संलिप्तता है। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 25 जून की शाम को संस्थान के एक पूर्व छात्र और दो वरिष्ठ छात्रों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। तीनों आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन युवती की मेडिकल जांच भी कराई गई। छात्रा के गुप्तांगों और जांघों के पास बाहरी चोटों के निशान हैं, साथ ही उसकी गर्दन के आसपास चोट के निशान भी हैं। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को संदेह है कि मुख्य आरोपी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल जांच में लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

कार्य में शिथिलता के मद्देनजर 15 कार्यकत्रियों पर कार्यवाही

महराजगंज, मिठौरा। कार्य में शिथिलता बरतने पर विकास खंड मिठौरा की 15 आंगनबाड़ी कार्यकताओं का प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी ने जून माह का मानदेय शनिवार को बाधित कर दिया। बताया गया कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों का ई-केवाइसी नहीं कराने और फेस कैप्चर्ड आदि कार्यों में रूचि नहीं लेने पर सिंहपुर की संगीता, चौक की कमलावती, मीना, भागाटार की गुड्डी गुप्ता, औंराटार की सुमन, चम्पा देवी, हरिहरपुर की मनोज देवी सहित 15 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर कार्रवाई की गई है। प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी माधुरी देवी ने कहा 15 आंगनबाड़ी कार्यकताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जून माह का मानदेय बाधित किया गया है

संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं, इसे आपातकाल के दौरान बदला गया...:जगदीप धनखड़

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वह बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।

धनखड़ ने कहा कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बी आर अंबेडकर ने संविधान पर बहुत मेहनत की और उन्होंने निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया होगा। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी भी देश में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया। यहां एक पुस्तक

विमोचन कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी गुरुवार को आर-एसएस द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने के आह्वान के बाद आई है। आरएसएस ने कहा कि इन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा कभी नहीं थे।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा इस बात पर राष्ट्रीय बहस के आह्वान की आलोचना की है कि क्या 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने इसे राजनीतिक अवसरवाद और संविधान की आत्मा पर जान बूझकर किया गया हमला करार दिया है। आपातकाल के दिनों (1975-77) के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए दो शब्दों की समीक्षा के लिए होसबोले की जोरदार वकालत ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइजर में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि यह संविधान को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि कांग्रेस की आपातकाल-युग की नीतियों की विकृतियों से मुक्त होकर इसकी मूल भावना को बहाल करने के बारे में है।

घुसपैठ रोकने के लिए सख्त इंतजाम, आधार कार्ड बनवाने के लिए लगेगी सीएम की परमिशन

गुवाहाटी। अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए, असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आधार कार्ड जारी करने और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने की योजना बना रही है। वयस्कों (18 वर्ष से ऊपर) के लिए आधार कार्ड अब केवल डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जाएंगे।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द, हम एक निर्णय लागू करेंगे, जिसके तहत वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड केवल डीसी द्वारा जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध अप्रवासी आधार नहीं बनवा सकता है, और हम उन्हें आसानी से ट्रैक करके वापस भेज सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने की आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया को रेखांकित किया और एक स्थायी एवं समृद्ध भारत के निर्माण के उद्देश्य से नौ प्रमुख संकल्पों पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो हमें चुनौती देगा... दर्शकों ने नारे लगाते हुए वाक्य पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने आधा वाक्य भी नहीं कहा और आपने उसे पूरा कर दिया। जैन आध्यात्मिक नेता आचार्य प्रज्ञा सागर ने मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की सराहना की, जिनमें अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करना, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की कार्टोग्राफिक सीमाओं को परिभाषित करने वाला नया मानचित्र प्रकाशित करना और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 7 मई की सुबह भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।

पीएम मोदी ने कहा कि शब्दों में न कहते हुए भी शायद आप ऑपरेशन

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो हमें चुनौती देगा... दर्शकों ने नारे लगाते हुए वाक्य पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने आधा वाक्य भी नहीं कहा और आपने उसे पूरा कर दिया।

सिंधु को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। मोदी ने टिकाऊ और समृद्ध भारत के निर्माण के उद्देश्य से नौ प्रमुख संकल्पों को भी दोहराया, जिनमें शामिल हैं: जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्यमों का समर्थन करना, देश की सांस्कृतिक समृद्धि का पता लगाने के लिए देश के भीतर यात्रा करना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, योग और खेल को अपनाना तथा वंचितों को सहायता प्रदान करना।

उन्होंने जैन दर्शन और समाज में आचार्य विद्यानंद महाराज के योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें आधिकारिक जैन ध्वज और प्रतीक पर लेखन कार्य, भारत भर में प्राचीन जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार और प्राकृत भाषा को बढ़ावा देना शामिल है। आचार्य विद्यानंद महाराज की शताब्दी 28 जून से 22 अप्रैल, 2026 तक मनाई जाएगी, जिसमें देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जैसा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है।

पुलिस महानिरीक्षक बस्ती ने प्रशिक्षुओं से किया संवाद

सिद्धार्थनगर/बांसी। पुलिस महानिरीक्षक बस्ती संजीव त्यागी पुलिस लाइंस परिसर में प्रशिक्षण के लिए आए 650 प्रशिक्षुओं के साथ संवाद किया। साथ ही उन्हें सेवा भाव एवं अनुशासन के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व उन्होंने कोतवाली बांसी में ताजियादारों व डीजे संचालकों के साथ बैठक की। पुलिस महानिरीक्षक संजीव त्यागी व एसपी डॉ. अभिषेक महाजन ने प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइंस में प्रशिक्षुओं से संवाद में उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा भावना जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक दक्षता, कानूनी ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक पुलिसिंग जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

उन्होंने प्रशिक्षण के चार मुख्य स्तंभों शारीरिक दक्षता, कानूनी ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा सामुदायिक पुलिसिंग पर चर्चा की। प्रशिक्षुओं को बताया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, किंतु इसके दुरुपयोग से न केवल व्यक्तिगत छवि को बल्कि विभाग की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंच सकती है।उन्होंने शासन द्वारा जारी सोशल मीडिया नीति, गाइड लाइन की प्रमुख बातों से सभी को अवगत कराया। यह भी स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान या यूनिफॉर्म में वीडियो बनाकर पोस्ट करना, विभागीय गोपनीय सूचनाओं को साझा करना या राजनीतिक, विवादास्पद पोस्ट करना सर्वथा वर्जित है। इसके बाद कोतवाली बांसी में ताजियादारों व डीजे संचालकों के साथ बैठक की। इसमें लोगों को शासन के निर्देश से अवगत कराते हुए शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। दोनों अधिकारियों ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहार सकुशल, शांतिपूर्वक मनाएं। आपके साथ पुलिस का पूरा सहयोग है। सामाजिक सौहार्द व भाईचारा बनाए रखें। किसी तरह की कोई नई परंपरा न शुरू करें। कहीं भी कोई घटना होती है है तो तत्काल पुलिस को सूचना करे पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। बैठक के अंत में लोगों से कहीं भी कोई समस्या हो तो बताने को कहा। लोगों ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि यहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सीओ प्रवीन प्रकाश, कोतवाल संतोष कुमार तिवारी सहित काफी संख्या में क्षेत्र के ताजियादार व डीजे संचालक मौजूद रहे।

साकिब नाचन की ब्रेन हैमरेज के बाद मौत

नई दिल्ली। प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन की शनिवार (28 जून) को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ब्रेन हैमरेज के बाद मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पडघा निवासी नाचन पिछले चार दिनों से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। न्यायिक हिरासत में रहते हुए अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 24 जून (मंगलवार) को तिहाड़ जेल से शिफ्ट किया गया था। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नचन को आतंकी संगठन क्कर का भारतीय प्रमुख माना जाता था, जिसकी राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि नचन को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसकी हालत को स्थिर करने के प्रयासों के बावजूद शनिवार दोपहर करीब 12:10 बजे उसकी मौत हो गई।

2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल पर एक बड़ी राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के दौरान नाचन को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने ऑपरेशन के तहत जिन कई स्थानों पर छापेमारी की, उनमें पडघा में उनका आवास भी शामिल था। **मुंबई विस्फोटों और आतंकी मामलों में मुख्य आरोपी-** नाचन पर पहले 2003 के मुंबई बम विस्फोटों का आरोप था, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए और घायल हुए। वह कई राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से भी जुड़ा था, जिसके लिए वह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। 2023 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर देशव्यापी कार्रवाई के तहत नाचन को गिरफ्तार किया था। माना जाता है कि वह भारत में समूह के संचालन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा था।

बाढजनित हादसों में कब तक होती रहेगी जन-धन की हानि

देश में सरकारी मशीनरी की तंद्रा तब भंग होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र जागने के लिए बड़े हादसे की इंतजार में रहता है। पहले हुए हादसों से सबक सीखने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है जिम्मेदारी का अभाव। यदि यह जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसी तरह के हादसे के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हादसा होने की सूरत में उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तभी हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरूआत है। हर साल मानूसन के दौरान देश में बाढ़ जनित हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत होती है। भारी बारिश से देश को अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। जन-धन की इस हानि की किसी जिम्मेदारी तय नहीं है। आखिर कौन हर साल होने वाले ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। हादसा होने के बाद सिर्फ लकीर पीटी जाती है। ऐसे उपाय नहीं किए जाते कि हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या फिर इनकी संख्या में कमी लाई जा सके। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी बाकी है, जो इतिहास में भारत का सबसे गर्म साल रहा है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई हैं, या दोनों ही बातें हो रही हैं।

1970 से 2021 तक का डेटा दिखाता है कि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं, जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़, या सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013-2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार, ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की संख्या ज्यादा है। स्विस रे एक प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और अध्ययन प्रकाशित करती है।

जून 2023 में, चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ के सभी बंदरगाह, जैसे कांडला और मुंदरा बंदरगाह, बंद हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। दिसंबर 2023 में, चक्रवात मिकाउंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़े नुकसान हुए। इसके अलावा, जुलाई 2023 में उत्तरी भारत और सिक्किम में आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। स्विस रे के विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत में गर्मी का मॉनसून (जून से सितंबर) और पूर्वोत्तर मॉनसून (अक्टूबर से दिसंबर) भारी बारिश लाते हैं, जिससे गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कुछ बड़ी घटनाओं में 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू और कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल की बाढ़ शामिल हैं। साल 2023 में उत्तर भारत की बाढ़ ने भी एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है कि नुकसान में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख है। बढ़ते तापमान से चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ी है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ता निर्माण और आबादी आपदा के समय अधिक नुकसान का कारण बनते हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं से सड़कों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। इससे ना केवल आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं बल्कि यह लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। कुदरती आपदाओं के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और फिर से निर्माण में भारी खर्च आता है। प्राकृतिक आपदाओं से भारत के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। तटीय राज्य, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल अक्सर चक्रवात और समुद्री तूफानों का सामना करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गंगा के मैदान हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राजस्थान और गुजरात बार-बार सूखे का सामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के लिए संवेदनशील है। साथ ही, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहर बाढ़ और जलभराव के लिए अधिक संवेदनशील हैं। वर्ष 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ भारत की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से हैं। इनसे क्रमशः 5.3 अरब डॉलर और 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट कहती है कि इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बेहतर योजना और आपदा प्रबंधन की सख्त जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। स्विस रे के मुताबिक भारत को आपदा प्रबंधन और तैयारी के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो आपदाओं का सामना कर सके। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्विस रे की रिपोर्ट में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। जैसे कि डेटा और प्रभावित केंद्रों की पहचान कर संवेदनशील क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा बनाना होगा। आधुनिक तकनीकों और डेटा का इस्तेमाल कर नुकसान का सटीक आकलन किया जाए। ऐसी बीमा योजनाएं तैयार की जाएं, जो अधिक लोगों तक पहुंच सकें और प्राकृतिक आपदाओं के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकें। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में एक हिमनद के फटने के कारण बर्फ, हिम और मलबे का स्खलन होने से व्यापक 'फ्लैश फ्लड' उत्पन्न हुआ। भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति के रूप में 1,805 करोड़ रुपए मूल्य की हानि का कारण बनती है। सवाल यह है कि आखिर देश के लोग बाढजनित आपदाओं की मार कब तक झेलते रहेंगे। हर साल होने वाली मौतें और हजारों करोड़ की सम्पत्ति की बबार्दी आखिर कब थमेगी। सिर्फ प्रकृति को दोष से देने से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लापरवाही की बहानेबाजी का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा, जब तक सजा का कठोर प्रावधान नहीं होगा।

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते राहुल गांधी

नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने चीखना शुरू कर दिया था- 'ईवीएम में भूत है, जो भाजपा को ही वोट भेजता है। अप्रैल 2025 को विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान बोस्टन में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए, चुनाव पर बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग 'कंप्रोमाइज्ड' है।

ताजा संदर्भ राहुल गांधी ने मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से 7 जून को एक लेख लिखा। ये कई अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और भाजपा ने सुनियोजित तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठया हो या फिर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया हो। वो आदतन अक्सर ऐसा करते रहते हैं । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करता है जिसे संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा और सभी निर्वाचित निकायों के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने का दायित्व दिया गया है। यह संस्था न तो कार्यपालिका के अधीन है और न ही किसी राजनीतिक दबाव में काम करती है। भारतीय निर्वाचन आयोग केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं बल्कि विवाद-निराकरण और मतदाता-विश्वास निर्माण की भी जिम्मेदारी निभाता है। आयोग मतदान प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए कई स्तर पर काम करता है। राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता पाने के कुछ भी बयान देते हैं, पर तर्क और तथ्य की कमी होती है। इससे समाज में भ्रम फैलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। विदेशी धरती पर जाकर वो देश का अपमान, मोदी सरकार की आलोचना और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई अवसर चूकते नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि 'भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा (ब्रोकेन) हुआ था, अब यह लड़ रहा है।' उनका यह कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर ही सवाल उठाता है। खासकर तब जब भारत में लगातार चुनाव होते रहे हैं और सरकारें बदलती रहीं हैं। बीते 10-11 वर्षों में देश में कई ऐसी सरकारें बनी हैं, जिसे बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस को मौका मिला है। मतलब, अगर नतीजे राहुल और उनकी पार्टी के लिए अच्छे रहें तो लोकतंत्र ठीक है और नहीं तो वह 'ब्रोकेन हो जाता है। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में 'फुल स्केल एसॉल्ट' हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया। मई 2022 में लंदन में 'आइडियाज फॉर इंडिया' सम्मेलन में राहुल ने कहा कि भारत की संस्थाएं 'परजीवी' बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 'डीप स्टेट' (सीबीआई, ईडी) भारत को चबा रहा है। यहां 'डीप स्टेट' का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यहां 'डीप स्टेट' का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र से भी कर दी। 2017 में ही अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वह नहीं रहा जहां हर कोई कुछ भी कह सकता है। उन्होंने विदेश की धरती पर भारत में 'फ्री स्पीच' की स्थिति पर संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में सहनशीलता खत्म हो गई है। जबकि, हकीकत ये है कि राहुल गांधी संसद से लेकर बाहर तक जब जो जी में आता है, बयान देते रहे हैं और सरकार को छोड़ दें, शायद ही कोई संवैधानिक संस्था बची हो, जिस पर उन्होंने निशाना न साधा हो। राहुल गांधी यह क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही वे चुनाव संपन्न करवाए हैं, जिनके दम पर वह आज विपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए हैं। उनके परिवार के तीन-तीन सदस्य इन्हीं चुनावी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संसद में मौजूद हैं। यहीं की संवैधानिक संस्थाओं ने उन्हें इतनी राहत दी हुई है कि नेशनल हेराल्ड केस में गंभीर आरोपों के बावजूद वो और उनका मां सोनिया गांधी को जमानत मिली हुई है। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक तौर पर भले ही भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का चलन बन गया हो लेकिन भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा केवल देश के भीतर ही नहीं संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों और कई विदेशी सरकारों द्वारा भी की गई है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के 2020 के एक अध्ययन में भारत के चुनाव आयोग को ह्यवन ऑफ दी मोस्ट रोबस्ट इलेक्टोरल इंस्टीटूशन्स ग्लोबलीह्न (विश्व स्तर पर सबसे मजबूत चुनावी संस्थाओं में से एक) कहा गया। यही नहीं, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि तकनीक, प्रशिक्षण और जनता की भागीदारी के माध्यम से एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव है। बीती मई को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने से चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया था। यह बातचीत निर्वाचन आयोग की उस नई पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों को सीधे तौर पर सुनकर चुनावी प्रक्रिया को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाना है। चुनाव आयोग अब तक देशभर में कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में अब तक 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से लिखित में तथ्यों की मांग की और चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया है और अब यह दायित्व बनता है कि आरोप लगाने वाले नेता उन्हें उचित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करें।

लखनऊ के एक रिटायर्ड कर्नल ने अपने बेटों को एक मार्मिक पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली। दोनों बेटे अमेरिका में बसे थे और मां की मृत्यु पर भी पूरी संवेदनशीलता नहीं दिखा सके। पिता ने पत्र में लिखा कि उन्होंने देश को सम्मान दिया लेकिन समाज को असंवेदनशील पुत्र दे दिए। यह घटना केवल एक आत्महत्या नहीं, बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्यों के पतन का आईना है। आधुनिकता के दौड़ में रिश्तों की संवेदना और बुजुर्गों का सम्मान कहीं पीछे छूटता जा रहा है।

पिता का पस्त मन और पुत्रों की पश्चिमी व्यस्तता

एक फौजी पिता की वर्दी सलामी के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और समर्पण के प्रतीक होती है। लेकिन जब वही पिता अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपनी ज़िंदगी के सबसे कड़वे शब्दों में पत्र लिखकर खुद को गोली मार ले, तो यह केवल आत्महत्या नहीं होती – यह एक सामाजिक मृत्यु होती है। लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल ने ऐसा ही किया। दो बेटे, एक अमेरिका में कॉरपोरेट नौकरी में व्यस्त, दूसरा अपने परिवार के साथ जीवन में लीन। पिता और मां ने पूरी ज़िंदगी इन बेटों की परवरिश में बिता दी थी। ऊँची शिक्षा, बेहतर जीवन, विदेशी स्थायित्व, दुनिया की सुविधाएं – सब दिया, लेकिन आखिर में अकेलेपन का उत्तरदायित्व भी उन्हीं मां-बाप के हिस्से आया।

कहते हैं, हर पिता चाहता है कि बेटा उससे बड़ा बने, लेकिन शायद ही कोई पिता चाहता है कि बेटा उसे भूल जाए। जिस बेटे को कभी बुखार आने पर पिता रातभर सिरहाने बैठा रहा हो, वही बेटा मां की मौत पर कह दे कि ह्लपापा की मौत में आ जाऊंगाह्न – तो वहां केवल संबंध नहीं टूटते, आत्मा टूट जाती है। उस पिता ने पत्र में कोई गाली नहीं दी, कोई ताना नहीं दिया, कोई आक्रोश नहीं दिखाया। उन्होंने बस यह कहा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, क्योंकि मैंने समाज को सभ्य नागरिक नहीं, असंवेदनशील संतति दी।

यह वाक्य जितना सीधा है, उतना ही खौफनाक है। यह एक पिता का नहीं, एक पीढ़ी का दुःख है। यह कहानी किसी एक कर्नल की नहीं है। यह हर उस मां-बाप की है, जो अपने बच्चों को उड़ान देना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में लौटती हुई परछाइयां भी नहीं देख पाते। यह उस भारतीय समाज की है, जो अमेरिका जाने वाले बेटे पर गर्व करता है, लेकिन वहीं मां-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने पर खामोश हो जाता है। यह उस संवेदनहीनता का बयान है, जो आधुनिकता के मुखौटे के पीछे रिश्तों को घोंट रही है।

पिता की चिट्ठी ने लिखा कि अब उसकी लाश के पास भी कोई इंतजार नहीं करेगा, इसलिए वह खुद ही चला जाता है – ताकि कोई मजबूरी न हो, कोई बहाना न बने, कोई बेटा यूं न कह सके कि ह्यफ्लाइट नहीं मिलीह्न। यह वाक्य किसी खबर का हिस्सा नहीं, एक सांस्कृतिक हार का एलान है। वह पिता जिसने युद्ध में दुश्मनों से लड़ा, जिसने सेवा में राष्ट्र को प्राथमिकता दी, वह अपने ही घर में अकेलेपन से हार गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके तमगे और तस्वीरें बटालियन को लौटा दी जाएं। शायद वो ये नहीं चाहता था कि उसके बच्चों के ड्राइंग रूम में झूठी स्मृति के रूप में उसकी तस्वीर टंगी रहे।

हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहां हर त्योहार पर ह्लपरिवार के साथ समय बिताएंह्न जैसे विज्ञापन चलाए जाते हैं, लेकिन असल में माता-पिता के पास समय बिताने वाला कोई नहीं होता। वीडियो कॉल पर रिश्ता निभाया जाता है, जन्मदिन पर केक भेजकर ज़िम्मेदारी पूरी मानी जाती है, और अंत्येष्टि में आना ह्यकाम की व्यस्तताह्न के आधार पर टाला जा सकता है। कर्नल साहब के बेटे के लिए यह सिर्फ ह्यएक और दिनह्न रहा होगा। लेकिन उस दिन ने एक पिता को चुपचाप शहीद कर दिया – इस बार बिना दुश्मन के, बिना युद्ध के, बिना आदेश के। जिस समाज में माताएं बेटे को यह सिखाती थीं कि बुढ़ापे में मां-बाप भगवान होते हैं, उस समाज में बेटे मां के निधन पर आने से कतराने लगे हैं। यह संस्कारों की नहीं, अवसरवादिता की पीढ़ी है। जहां ह्लहमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैंह्न जैसे वाक्य, रिश्तों की कब्र पर पत्थर बनकर रख दिए गए हैं। रिश्ते अब भावना से नहीं, सहूलियत से निभाए जाते हैं। कोई फोन करेगा तो बात होगी। कोई कहेगा तो आऊंगा। कोई मरेगा तो सोचूंगा। यही हमारी आधुनिक संस्कृति है, जो रिटायरमेंट के बाद मां-बाप को केवल एक खर्च या बोझ समझती है।

क्या हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हम जैसा ही व्यवहार मिलेगा? क्या जो आज बोया जा रहा है, वही कल काटा नहीं जाएगा? बेटों ने क्या सिर्फ इसलिए पढ़ाई की थी कि वे संवेदना से चूक जाएं? अगर शिक्षा केवल कैरियर और डॉलर कमाने तक सीमित रह जाए, तो वह एक आदर्श संतान नहीं, एक संवेदनहीन मशीन तैयार करती है।

कर्नल साहब ने खुद को गोली नहीं मारी – उन्होंने एक घोषणा की थी। कि वह एक असफल पिता थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो शव देखने से डरते थे, लेकिन सेल्फी लेने में नहीं झिझकते। उन्होंने एक ऐसा समाज छोड़ा, जो बुजुर्गों की बातें 'बोरिंग' समझता है और बूढ़ों के आँसू सिर्फ ह्यग्लानिह्न का विषय बनते हैं, करुणा का नहीं। अब सवाल यह है कि हम इस पत्र को पढ़कर केवल अफसोस जताएं या आत्मपरीक्षण करें। हम क्या वाकई उस दिशा में जा रहे हैं, जहां रिश्तों का मूल्य डॉलर से कम है? क्या हम अपने बच्चों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि सफलता का मतलब पीछे मुड़कर न देखना है? कर्नल साहब का पत्र चेतावनी है – उन सब के लिए जो सोचते हैं कि विदेश में बस जाने से जड़ें खत्म हो जाती हैं। नहीं, जड़ें हमेशा रहती हैं। सूखती हैं, तबाही लाती हैं। यह समाज तब तक जीवित रहेगा, जब तक बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। जिस दिन मां की चिता को बेटे ह्यइवेंटह्न मानने लगेंगे, उस दिन से सभ्यता खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आज जो कर्नल साहब के साथ हुआ, वह कल किसी और के साथ होगा। शायद आपके साथ। शायद मेरे साथ। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी – रिश्ते निभाइए। मां-बाप को समय दीजिए। अमेरिका जाकर सफलता अर्जित करना बुरा नहीं, पर उस उड़ान में अगर संवेदनाएं पीछे छूट जाएं तो वह उड़ान नहीं, विस्मृति बन जाती है। कर्नल साहब की आत्महत्या, एक पिता का मर जाना नहीं है – यह हमारे समाज की आत्मा की पराजय है। और अगर अब भी हम नहीं चेते, तो अगली पीढ़ी हमें केवल बर्थडे कार्ड और अंत्येष्टि के टोल फ्री नंबर ही देगी।

-प्रियंका सौरभ

पिछड़ता उच्च शिक्षा का स्तर

विजय गर्ग

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था उदारीकरण के बाद आगे तो बढ़ी, लेकिन उसी गति से उसमें गुणवत्ता विकसित नहीं हो पाई। उदारीकरण के तीन दशक पूरे हो चुके हैं, मगर इसका लाभ उच्च शिक्षा में केवल कमाई के अवसर के रूप में देखा गया। खास यह भी है कि तकनीकी शिक्षा के लिए आल इंडिया कार्उसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) को मानक तय करने के लिए 1987 में बनाया गया था। इसके नियमों की खूब अवहेलना हुई। समय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भी नकेल कसने में कम ही । कम ही कामयाब रहा। आकर्षक विज्ञापनों और चमचमाते सपनों के साथ साथ युवाओं के हाथ में उच्च शिक्षण संस्थाओं ने डिग्रियां तो खूब थमाईं, पर कौशल के मामले में वे खोखले ही । रह गए। यूजीसी की वेबसाइट को खंगालें, तो मौजूदा समय में सभी प्रारूपों में 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 57 केंद्रीय और 502 राज्य विश्वविद्यालय हैं। सभी उच्च शिक्षण संस्थान और इनसे जुड़े कालेज हर साल तकरीबन चार करोड़ से अधिक युवाओं की तकदीर बनाते हैं। ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। निराशा की बात यह है कि इनमें कई संस्थान शिक्षा को धन उगाही का जरिया बना लेते हैं और डिग्रियां बांटना एक तरह से कारोबार बन जाता है।

असल में शिक्षा कोई रातों-रात विकसित होने वाली व्यवस्था नहीं है। वैश्वीकरण के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई दरवाजे खुले मगर व्यावहारिक तौर पर अब ये विफल दिखाई देते हैं। भारत में विगत तीन दशकों शिक्षा संस्थानों के प्रति काफी नरमी बरती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मुख्य वजह भी यही है भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। संसार की सबसे बड़ी युवा आबादी यहीं है। जिस गति से शिक्षा लेने वालों की संख्या यहां बढ़ी, शिक्षण संस्थाएं उससे तालमेल नहीं बैठा पाईं। कुछ क्षेत्रों में बिना किसी त के कमाने वाली शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई। इंजीनियरिंग कालेज इसी तर्ज पर पर विकसित हुए और यह बात तब और पुख्ता हो जाती है, जब आंकड़े बताते हैं कि देश देश में इंजीनियरिंग की सफलता दर आम तौर पर दस फीसद सें अधिक नहीं होती है जबकि हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक कालेजों से निकलते हैं। इतना ही नहीं 40 फीसद आइआइटी स्नातक भी नौकरी पाने में असफल रहे 'इंडियाज ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स' के अनुसार, देश देश में वर्ष 2024 में लगभग 57 फीसद स्नातकों के पास आवश्यक कौशल नहीं है।

सवाल उठता है कि शैक्षणिक वातावरण हमारे यहां कैसा है। अब शिक्षण संस्थानों को सुशासन के मार्ग की ओर ले जाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा को लेकर दो प्रश्न उभरते हैं। पहला यह कि क्या विश्व परिदृश्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच उच्चतर शिक्षा, शोध और ज्ञान के विभिन्न संस्थान स्थिति के अनुसार बदल रहे हैं? दूसरा क्या अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का कोई बड़ा लाभ मिल रहा है यदि हां, तो सवाल यह भी है कि क्या परंपरागत मूल्यों और उद्देश्यों का संतुलन इसमें बरकरार है? विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू में ज्ञान के सृजन का हस्तांतरण भूमंडलीय हिस्सेदारी के आधार पर हुआ था। धीरे-धीरे बाजारवाद के कारण शिक्षा गुणवत्ता के मामले में पिछड़ती गई। वर्तमान में तो इसे बाजारवाद और व्यक्तिवाद के संदर्भ में परखा और जांचा जा रहा है। तमाम ऐसे कारकों के चलते उच्च शिक्षा सवालों में घिरती चली गई। देश में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक क्यों हुई, इसे समझना होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि इस क्षेत्र में उन मानकों को कहीं अधिक ढीला छोड़ दिया गया, जिसे लेकर एक निश्चित नियोजन होना चाहिए था। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तभी आती है, जब

इसे शोधपरक बनाने का प्रयास किया जाता है न कि रोजगार जुटाने मात्र का जरिया बनाया जाता है। निजी विश्वविद्यालय फीस वसूलने में पूरा दम लगाए रखते हैं, पर उच्च शिक्षा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता कम ही दिखती है। कोई दो मत नहीं कि यहां शिक्षा एक व्यवसाय है, इसका अपना एक आकर्षण है। ऐसा लगता है कि अब तो आनलाइन व्यवस्था में शिक्षण संस्थान मोबाइल और लैपटाप में सिमट चुके हैं। पाइल आ तीन नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों पर सवाल उठाया था। शीर्ष अदालत ने उड़ीसा हाईकोर्ट के इस फैसले को कि पत्राचार के जरिए तकनीकी शिक्षा सही है, उसे खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। शीर्ष अदालत के इस फैसले से मेडिकल, इंजीनियरिंग और फामेर्सी समेत कई अन्य पाठ्यक्रम जो तकनीकी पाठ्यक्रम की श्रेणी में आते हैं, उन्हें लेकर विश्वविद्यालय अब मनमानी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इस फैसले से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस उस निर्णय को भी समर्थन मिलता है जिसमें कंप्यटर विज्ञान में में पत्राचार के माध्यम से ली गई डिग्री को नियमित तरीके से हासिल डिग्री की तरह मानने से इनकार कर दिया [गया था। कचोटने वाली बात यह भी है कि उच्च शिक्षा के नाम पर चौतरफ अव्यवस्था फैली हुई है। बीते दो दशक में दूरस्थ शिक्षा को लेकर गली-मोहल्लों में दुकानें खुलने का सिलसिला आज भी जारी है।

₹उत्तर प्रदेश के कई नामी-गिरामी विश्वविद्यालय भी इस मोह से नहीं पाए। स्नातक और परास्नातक समेत कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लेकर दूरस्थ माध्यम से बिना किसी खास कसौटी के न केवल केंद्र खोलने की अनुमति दी गई, बल्कि स्वयं के साथ इससे जुड़े ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाने लगे। इतना ही नहीं, बीटेक से लेकर एमबीए तक की डिग्रियां भी दूरस्थ माध्यम से ऐसे से ऐसे केंद्रों से सहज रूप से उपलब्ध होने लगी। दरअसल, शिक्षण संस्थाओं ने व्यवसाय अधिक किया, जबकि नैतिक धर्म का पालन करने में कोताही बरती है। हमारे छह पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आमतौर पर राष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लगातार पांचवें वर्ष ह्यटाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' का बहिष्कार जारी रखा है। वैश्विक स्तर पर, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार नौवें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि एमआइटी स्टैनफोर्ड को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था किस मुकाम पर है? जाहिर है जब तक उच्च शिक्षण संस्थान चलाने वाले गंभीर नहीं होंगे, शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझेंगे और शोध के मामले में गंभीर नहीं होंगे, तब तक यह व्यवस्था हांफती रहेगी और इसमें सुशासन की दरकार बनी रहेगी।

मलोट पंजाब

पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता दो देशों का आपसी संघर्ष

युद्ध केवल जन-धन हानि तक ही सीमित नहीं रहकर इसके साइड इफेक्ट जन-धन हानि से भी अति गंभीर होते हैं। युद्ध के चलते जिस तरह के गोला-बारुद और केमिकल युक्त बम, मिसाइलें और ना जाने क्या क्या का उपयोग होता है जो प्रकृति पर दूरगामी नकारात्मक असर छोड़ते हैं। आज भले ही इजरायल-ईरान युद्ध के बीच युद्धविराम हो गया हो और भारत पाक युद्धविराम की तरह इसका श्रेय भी डोनाल्ड ट्रम्प ले रहे हो पर युद्ध के दूरगामी दुष्परिणामों से आने वाली पीढ़ी और प्रकृति किसी को माफ करने वाली नहीं है। हालांकि इजरायल-युद्ध में दोनों देशों द्वारा ही अपनी अपनी जीत के दावें किये जा रहे हैं पर यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो दूसरी और आज के समय में युद्ध किसी निर्णायक स्तर पर पहुंच ही जाये यह भी कहा जाना बेमानी होगा। इजरायल-ईरान युद्ध से पहले इजरायल-हमास युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिन्दूर और लंबे समय से लगातार चला आ रहा रुस-यूक्रेन युद्ध हमारे सामने हैं। आज चल रहे इन युद्धों में से किसी को भी निर्णायक स्तर पर पहुंचते हुए नहीं देखा जा सकता और आज के समय के इन युद्धों को निर्णायक स्तर पर ले जाने की बात करना भी बुद्धिमानी नहीं मानी जा सकती। आज का युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रुस जैसे बिग गन का पूरे साहस के साथ मुकाबला कर रहा है।

देखा जाए तो आज दुनिया के हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। एक और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो दूसरी और दुनिया के देश आंतकवादी गतिविधियों से दोचार हो रहे हैं। बांग्लादेश का तक्ता पलट हमारे सामने है तो पाकिस्तान में औपचारिक रुप से सेना द्वारा सत्ता पर काबिज होने के समाचार देर सबेर आने ही है। अमेरिका में दूसरे देशों से शरणार्थी के रुप में आये लोग आये दिन नाक में दम कर रहे हैं। यूरोपीय देश खासतौर से फ्रांस इसका भुक्तभोगी रह चुका है। देखा जाए तो दुनिया के अधिकांश देश अशांति के हालात से दो चार हो रहे हैं।

युद्ध चाहे आज के जमाने का हो या पुराने जमाने का अपने निशान धरती पर लंबे समय तक के लिए छोड़.जाते हैं। यह कहना कि युद्ध इतिहास की बात रह जाता है, गलत होगा। यह विश्लेषण में युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता कि युद्ध के दौरान अमुख देश के इतने करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे थे या युद्ध के कारण जनहानि के साथ ही करोड़ों की संपत्ति और युद्ध सामग्री का नष्ट होना भी एक बात है। इसके साथ ही युद्ध में प्रयुक्त सामग्री खासतौर से युद्ध आयुधों के प्रयोग के कारण प्रकृति पर कितना प्रतिकूल असर पड़ता है वह अकल्पनिय होता है। हालिया युद्धों में किस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी और उन्हें नष्ट करने के प्रयास हुए हैं। इससे केवल क्षेत्र विशेष ही नहीं अपितु वायु मण्डल, पारिस्थिति तंत्र सहित प्रकृति पर गंभीर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बम, गोलाबारी, धुंआ, रासायनिक तत्वों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हुई है।

ग्लोबल वार्मिंग पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। यह तो वायु मण्डल के प्रदूषित होने और ग्लोबल वार्मिंग की बात है दूसरी तरफ रासायनिक बमों के अवशेष और युद्ध के कारण बारुदी सुरंगों या बारुद आदि सामग्री के उपयोग के कारण भूजल, मिट्टी आदि भी प्रदूषित होती है और पानी के प्रदूषित होने और मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इसके साथ ही जल, थल और नभ तीनों ही स्थानों पर जैव विविधता प्रभावित होती है। वन्य जीवों के साथ ही पशु-पक्षियों सहित अन्य प्रजातियों की विलुप्ति सहित अनेक दुष्प्रभाव सामने आते हैं। युद्ध के कारण जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव आता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने के साथ ही युद्ध के कारण जिस तरह से जन-धन हानि और प्रकृति पर विपरीत प्रभाव के साथ ही युद्ध के कारण संसाधनों के नष्ट होने, उन्हें वापिस दुरुस्त करने, आधारभूत संरचना विकसित करने और कुछ कार्य तत्काल दुरुस्त करने के होते हैं तो कुछ सुधार कार्यों में लंबा समय लगना होता है। इस तरह से युद्ध के कारण केवल दो देशों के बीच तात्कालीक संघर्ष और संघर्ष विराम मात्र नहीं होता और युद्ध का असर केवल जन-धन हानि तक ही सीमित नहीं होता यहां तक कि युद्ध का असर युद्धरत देशों तक ही नहीं होता अपितु युद्ध के कारण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से अधिकांश देश प्रभावित होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा असर पड़ता है। आज जिस तरह से विश्व गांव की बात की जाती है ग्लोबल की बात की जाती तो है यह साफ है कि युद्ध केवल युद्धरत देशों ही नहीं अपितु समूचे विश्व को युद्ध की आंच से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में साम्राज्यवादी सोच और अहम् को त्याग कर उसके स्थान पर आपसी समझ और बातचीत से ही समस्या का समाधान महत्वपूर्ण हो जाता है।

मानसिक शांति को प्रभावित करती इमोशनल डंपिंग

दरअसल आज अपनी समस्याओं का बोझ दूसरे पर लादने का दौर चल निकला है। खासतौर से सोशियल मीडिया का अधिकतम उपयोग आज इसी काम में होने लगा है। डिजिटलीय भाषा में कहो जाएं तो यह दौर इमोशनल डंपिंग का चल निकला है। कहने को तो यह कहा जाता है कि यदि आप किसी परेशानी में हो तो मन को हल्का करने के लिए अपनी समस्या को किसी संगी साथी से साझा करलें, इससे दो लाभ है एक तो तनाव से तात्कालीक मुक्ति मिल जाती है दूसरी और हो सकता है कि सामने वाला कोई सकारात्मक हल निकाल दें। पर कहा यह भी जाता है कि अपना दुख दर्द उसी से साझा करें जो आपके प्रति गंभीर हो। आपके दुख दर्द को सुनकर सहानुभूति के स्थान पर आपको मजाक का कारण तो नहीं बना दे। इमोशनल डंपिंग इससे थोड़ी अलग स्थिति है और आज यह बड़ी समस्या के रुप में सामने आ रही है। होने यह लगा है कि अपने मन मस्तिष्क का बोझ हम आसानी से दूसरे पर ड़ाल देते हैं। यह भी नहीं सोचा जाता है कि जिससे आप साझा कर रहे हैं वह इस स्थिति में है भी नहीं कि आपकी समस्या के प्रति कुछ कर सके। हो तो यह रहा है कि हम हमारे किस्से, दुख, तकलीफ या अन्य अच्छे बुरे समाचार मोबाइल, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, शार्टस या इसी तरह के किसी अन्य माध्यम से दूसरे पर थोप देते हैं और जाने-अनजाने में दूसरा व्यक्ति इमोशनल डंपिंग का शिकार हो जाता है। आज हालात तेजी से गदलते जा रहे हैं।

मनोविज्ञानियों के सामने आज इमोशनल डंपिंग बड़ी समस्या के रुप में सामने आ रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में इमोशनल डंपिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है तो लोग इमोशनल डंपिंग के आसानी से शिकार भी होते जा रहे हैं। हांलाकि हमारे यहां माना जाता रहा है कि कहने से दुख घटता है पर यह भी कहा जाता है कि अपनी दुख तकलीफ उसे सुनाओं जो सुन सके। आज का दौर लगभग उलटा होता जा रहा है हम हमारी दुख तकलीफ या हमारी बात किसी पर थोपने के लिए उसकी और विभिन्न माध्यमों से धकेल देते हैं और अब समस्या सामने वाले की हो जाती है। दूसरे की मनोस्थिति व परिस्थितियों को समझने की कोशिश ही नहीं होती। यह हालात ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते और इसके नकारात्मक परिणाम अधिक आने लगे हैं। इमोशनल डंपिंग में दरअसल जो श्रोता है वह प्रभावित होता है।

मनोविज्ञानी डॉ. रैडल टर्नर का मानना है कि इमोशनल डंपिंग आज समाज को नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित कर रही है। आज संप्रेषण या संवाद के विभिन्न माध्यमों से हम अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और सामने वाले की मनोस्थिति को समझने का प्रयास ही नहीं करते। अगला व्यक्ति इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके पास आपकी भड़ास सुनने का समय भी है या नहीं, या आपकी भड़ास का निदान कर सकता है या नहीं आपकी समस्या से जूझने की क्षमता भी है या नहीं। यह अपने आपमें एक समस्या हो जाती है। इमोशनल डंपिंग देखा जाए तो पूरी तरह से नकारात्मक और एकतरफा तरीका है और यह आज इस कदर हाबी हो गया है कि आसानी से आज व्यक्ति इससे दो चार हो रहे हैं। दरअसल सामने वाले व्यक्ति को हम आउटलेट समझ कर उसके साथ व्यवहार करते हैं। कहीं वह अपने आपको अपराधी जैसा समझने लगता है। एक तरह से सामने वाला व्यक्ति आब्जेक्ट के रुप में मानने लगते हैं। उसकी परिस्थितियों और वह आपकी बात से साझा होना भी चाहता है या नहीं उससे इमोशनल डंपिंग करने वाले को कोई लेना देना नहीं रहता। यह नए जमाने की नई तरह की समस्या बनती जा रही है। सोशियल मीडिया पर जब इस तरह की चीजें साझा की जाती है तो सामने वाले के साथ आपका भावनात्मक संबंध भी नहीं होता, ऐसे में सामने वाला थोड़ा संवेदनशील है तो एक तरह के तनाव से गुलरने लगता है। सोचता है ऐसा कैसे हो गया। क्या कारण रहे। या इसका समाधान तो आसानी से हो सकता है या अन्य किसी तरह से सोच सकता है। पर इस तरह का इमोशनल डंपिंग सामने वाले व्यक्ति पर नकारात्मकता के भाव पैदा करता है और वह कभी कभार तनाव के दौर से गुजरने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई दिल पर मत लो। अब जब दिल पर मत लो की भावना होगी तो फिर आपकी भड़ास के मायने क्या रहेंगे।

इमोशनल डंपिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि अपनी बात डंप करते समय या यों कहें कि साझा करते समय सामने वाले की मनोदशा, सहमति, असहमति, समय, विषय या अन्य से डंप करने वाले को कोई लेना देना नहीं रहता और आज यही हो रहा है। ऐसे में इमोशनल डंपिंग के शिकार लोगों के प्रति मनोविज्ञानी गंभीर चिंतन मनन में लगे हैं। वहीं इग्नोर करने, दूसरी बातों में ध्यान लगाने, अवसर मिलने पर सामने वाले को असहमति से अवगत कराने और उसे अनावश्यक संवाद के लिए इशारों में मना करने की हिम्मत भी जुटानी होगी क्योंकि दूसरे को मुसिबत में सहायता कोई बात साझा करने में और इक तरफा भड़ास निकालने में अंतर होता है। स्वयं तनाव के बोझ से मुक्त होने के लिए दूसरे को तनाव में ड़ालना किसी भी हालात में उचित नहीं माना जा सकता। नहीं तो जिस तेजी से आज इमोशनल डंपिंग का दौर चला है वह आने वाले समय में और भी अधिक गंभीर और समाज के लिए नकारात्मकता फैलाने वाला हो जाएगा। ऐसे में सोशियल मीडिया के उपयोग के समय उसमें रम जाने की मानसिकता को छोड़ना होगा। रील्स या शार्टस में प्रस्तुत सामग्री के प्रति अधिक गंभीर होने की आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि उसके समय व विश्वसनीयता प्रश्नों के घेरे में हमेशा बनी रहती है।

एक तरह से यह तो भावनात्मक ब्लेकमेलिंग का माध्यम बनता जा रहा है। दूसरा यह कि जो सामग्री आपको विभिन्न प्लेटफार्म से मिल रही है उसे गंभीरता से लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि उस सामग्री पर प्रतिक्रिया के चक्कर या प्रतिक्रियाओं के चक्रव्यूह में फंसने से आपमी मानसिक शांति भंग होना स्वाभाविक है। इसलिए दिमाग पर अधिक बोझ ड़ालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

आम जन के बीच भूमिका तलाशे राजभाषा विभाग

इसे संयोग कहें या कुछ और, राजभाषा हिंदी को प्रतिष्ठापित करने के लिए गठित भारत सरकार का राजभाषा विभाग जिस समय अपनी पचासवीं सालगिरह मना रहा है, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में राजभाषा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो उस महाराष्ट्र में भी उठ रहा है, जहां के लोकमान्य तिलक, काका कालेलकर और विनोबा भावे जैसी विभूतियों ने हिंदी में राष्ट्रीय एकता के सूत्र दिखे थे। सदा की तरह तमिलनाडु ने हिंदी विरोध में राजनीतिक मोर्चा खोल ही रखा है।

संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पर भले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन राजभाषा के प्रतिष्ठापन और कार्यान्वयन को लेकर अलग से विभाग की स्थापना आजादी के फौरन बाद नहीं हो पाई। राजभाषा विभाग की स्थापना आजादी के 28 वर्ष बाद 26 जून 1975 को हुई थी। इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस दिन स्वाधीन भारत के इतिहास के काले अध्याय यानी आपातकाल की घोषणा हुई, ठीक उसके अगले दिन राजभाषा विभाग अस्तित्व में आया। वैसे यह भी ध्यान देने की बात है कि संभवतः भारत अकेला देश है, जहां राजभाषा के लिए अलग से विभाग है। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अधिकारी हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण किसी दूसरे देश में नहीं मिलता। पचास साल की यात्रा पूरी कर चुके राजभाषा विभाग की स्थापना का बुनियादी उद्देश्य राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना रहा।

किसी विभाग की पचास साल की यात्रा कोई कम नहीं होती। यह ठीक है कि इस दौरान हिंदी ने लंबा सफर तय किया है। संचार के माध्यमों, बाजार और सिनेमा ने हिंदी को दुनिया के उस कोने तक पहुंचा दिया है, जहां सरकारी सहयोग से उसके पहुंचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि नए सिरे से हिंदी के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। हिंदी विरोधी सुर उन राज्यों में भी दिख रहे हैं, जहां कभी हिंदी के समर्थन में आंदोलन हुए, हिंदी ने जहां रचनात्मक उपलब्धियां हासिल कीं। महाराष्ट्र ऐसा ही राज्य है। लेकिन नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को रखने के चलते इस राज्य में विरोध तेज हो गया। इस विरोध की आंच बैंकों और केंद्र सरकार के दूसरे दफ्तरों तक पहुंची, जहां हिंदीभाषी कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। स्थानीय राजनीतिक कार्यकताओं ने उन पर मराठी बोलने का दबाव बढ़ाया। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया ने देखा कि मराठी नहीं बोल पाने के कारण बैंकों और दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों से किस तरह बदसलूकी हुई। महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक राज्य में भी ऐसा नजर आया। कन्नड़ ना बोल पाने के कारण एक बैंक अधिकारी के साथ स्थानीय समूह बदतमीजी करते नजर आए। सॉफ्टवेयर क्रांति का केंद्र बेंगलुरू में हिंदी बोलने के कारण उत्तर भारतीयों को ऑटो और बाइक चालकों की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा है।

आजादी के सतहत्तर साल बीतने और राजभाषा विभाग के गठन के पचास साल होने के बावजूद किसी गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदीभाषियों के साथ बदसलूकी होने के पीछे कहीं न कहीं राजभाषा विभाग की नाकामी भी है। राजभाषा विभाग ने बेशक सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है, लेकिन हिंदी के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में उसकी भूमिका कम ही दिखती है। बेशक राजभाषा विभाग के लिखित उद्देश्य में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन राजभाषा विभाग को इस दिशा में भी काम करना होना। उसे सोचना होगा कि गैर हिंदीभाषी राज्यों के मन में हिंदी को लेकर जो गांठ बन रही है, उसे किस तरह दूर किया जा सकता है। राजभाषा विभाग को देखना होगा कि हिंदी के नजदीक दूसरे राज्यों के लोग कैसे आ सकते हैं।

अपनी प्रमुख पुस्तिका हिंद स्वराज में गांधीजी ने हिंदी को ही स्वाधीन भारत की भाषा माना था। उन्हें पता था कि तमिलनाडु जैसे गैर हिंदीभाषी राज्य इसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए 1918 के इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के दफ्तर में हिंदी के पांच सेवकों को दक्षिणी राज्य में प्रचार के लिए भेजा था, जिनमें एक उनके बेटे देवदास गांधी भी थे। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। इसके बाद केरल हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद जैसी कई संस्थाएं बनी और हिंदी को सहज स्वीकार्य बनाने की दिशा में काम करने लगीं। यह बिडंबना ही कहा जाएगा कि राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद का मुख्यालय महाराष्ट्र के वर्धा में है और महाराष्ट्र में ही हिंदी को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है।

राजभाषा विभाग के कई उद्देश्य हैं, जिनमें राज्य विशेष के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग शुरू कराने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी पाना, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना चलाना, जरूरी पत्र-पत्रिकाओं और संबंधित साहित्य का प्रकाशन आदि है। राजभाषा विभाग ने इन मोर्चों पर काम किया भी है। लेकिन राजभाषा विभाग को इससे इतर भी भूमिका तलाशनी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ ही आम लोगों की हिंदी के प्रति बनी नकारात्मक धारणा को तोड़ने की दिशा में भी राजभाषा विभाग से प्रयास की उम्मीद की जाती है। चूंकि हिंदीप्रेमी अमित शाह गृहमंत्री हैं, लिहाजा राजभाषा विभाग को अपनी इस भूमिका के लिए शासन से जरूरी सहयोग मिल सकता है। अपनी पचासवीं सालगिरह पर राजभाषा विभाग को इस दिशा में सोचना होगा।

सोशल मीडिया बच्चों को हिंसक एवं बीमार बना रहा है

सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से बच्चों का बचपन न केवल प्रभावित हो रहा है, बल्कि बीमार, हिंसक एवं आपराधिक भी हो रहा है। यह चिंताजनक एवं चुनौतीपूर्ण है। यह बच्चों को समय के प्रति, परिवार एव सामाजिक कौशल के प्रति और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया ने बच्चों से बाल-सुलभ क्रीड़ाएं ही नहीं छीनी बल्कि दादी-नानी की कहानियों से भी वंचित कर दिया है। कुछ विशेषज्ञ इस बात से चिंतित हैं कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चे अनैतिक, उग्र, जिद्दी एवं आक्रामक भी हो रहे हैं, जो उन्हें चिंता और अवसाद में धकेल रहे हैं। बच्चें सोशल मीडिया पर वक्त ज्यादा गुजार रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स ने बच्चों की दुनिया ही बदल दी है। अब ये आवाज उठने लगी है कि क्यों न बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? टेन के हार्परकॉलिन्स और नीलसन आईक्यू की एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में ऐसे ही चिन्ताजक तथ्य सामने आये हैं कि बड़ी संख्या में युवा माता-पिता कहानियों की बजाय डिजिटल मनोरंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। पंचतंत्र से लेकर स्नो व्हाइट पिनोकियो जैसी कहानियां अब शेल्फ पर धूल फांक रही हैं। नये बन रहे समाज एवं परिवार में सोशल मीडिया जहर घोल रहा है।

स्मार्टफोन बड़ों ही नहीं, बच्चों के हाथ में आ गया है। जवान और बूढ़े ही नहीं छोटे-छोटे बच्चे तक इसके आदी होते जा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, गेम्स सब कुछ स्मार्टफोन पर होने की वजह से बच्चों और युवाओं में इसकी आदत अब धीरे-धीरे लत में तब्दील होती जा रही है। सोने के समय बच्चों को कहानियां सुनाना या उनके लिए लोरियां गाना कभी पारिवारिक संस्कृति का अहम हिस्सा हुआ करता था। दादी-नानी हों या माता-पिता की सुनाई गई परीकथाएं बच्चों के लिए नींद से पहले की सबसे प्यारी यादें होती थीं। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने से इसके बिना बचपन सूना हो रहा है। बच्चे किताबों और खेलकूद के मैदानों से दूर हो रहे हैं। स्क्रीन की नीली रोशनी उनकी आंखों के साथ दिमागी सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। इसके अलावा शारीरिक श्रम एवं रचनात्मकता भी कम हो गई है। यह केवल पश्चिमी देशों की ही नहीं, भारत की भी सच्चाई बन चुकी है। जेन जेड यानी 1996 से 2010 के बीच जन्मे युवा माता-पिता अब इस प्यारी परंपरा से मुंह मोड़ रहे हैं। हालिया शोधों से पता चला है कि अब कहानियां पढ़ना-सुनाना जेन जेड माता-पिता के लिए जिम्मेदारी एवं मनोरंजन नहीं बल्कि एक थकाऊ काम बन गया है। मोबाइल अब केवल बच्चों के लिए ही समस्या नहीं है, बल्कि बड़े भी इसकी चपेट में हैं। यह सिर्फ फोन या मैसेज करने तक ही सीमित नहीं रहा है। ना जाने कितने ही तरह के ऐप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया एप, और गेम्स बड़ो एवं बच्चों को दिन भर व्यस्त रखते हैं। लेकिन अगर मोबाइल के बिना आपको बेचैनी होती है तो समझ जाइये कि आप भी इस एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं जो आपके लिए चिन्ता की बात है।

टेन के हार्परकॉलिन्स और नीलसन आईक्यू की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में खासकर महानगरों और शहरी इलाकों में सोशल मीडिया का बच्चों में प्रचलन अधिक बढ़ रहा है। पढ़ने को मनोरंजन एवं ज्ञान का हिस्सा मानने की बजाय ह्यगंभीर पढ़ाईह्ल से जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नई पीढ़ी के अभिभावकों को लगता है कि बच्चों को कहानी सुनाना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। शहरीकरण एवं पारिवारिक संरचना में बदलते स्वरूप से पिछले दस सालों में बड़े बदलाव हुए हैं, संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवार हैं, जहां दादी-नानी जैसे कहानी सुनाने वाले सदस्य मौजूद नहीं है। समय की कमी, कामकाजी जीवन की व्यस्तता और थकान के कारण माता-पिता के पास बच्चों को कहानी सुनाने का समय नहीं बचता। नई पीढ़ी के माता-पिता खुद ही पढ़ने की आदत से दूर हो चुके हैं, जिससे बच्चों को प्रेरणा नहीं मिलती। स्कूल का होमवर्क भी इसमें बड़ी बाधा है। रिपोर्ट के आंकडों के अनुसार 41 प्रतिशत माता-पिता ही रोज अपने चार साल तक के बच्चों को कहानी सुनाते हैं। जबकि 2012 में यह आंकड़ा 64 प्रतिशत था। 28 प्रतिशत जेन जेड माता-पिता पढ़ने को एक मजेदार गतिविधि नहीं मानते।

बच्चों की सोशल मीडिया चैनल्स पर उपस्थिति उन्हें वास्तविक जीवन से दूर करके वर्चुअल दुनिया में ले जा रही है। जहां दिखावटीपन एवं नकारात्मकता की भरमार है। इससे बच्चों का बचपन तो छिन ही रहा है, उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। सोशल मीडिया यानी यूट्यूब-इंस्टा, अन्य सोशल साइट की लत बच्चों को वास्तविक दुनिया से दूर कर रही है और उनकी एकाग्रता, याददाश्त और ध्यान की क्षमता को कम करके उन्हें अपंग, बीमार एवं हिंसक बना रही है। बच्चे अपने प्रश्नों का हल या समस्या का निवारण किताबों में ढूँढकर पढ़ने के बजाय केवल मोबाइल पर ढूँढने के आदी होते जा रहे हैं जो उचित नहीं है। मोबाइल और साइबर एडिक्शन अब एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है जो बच्चों की दिनचर्या पर बुरा असर डाल रही है। इससे मानसिक विचलन और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है कि हम छोटी छोटी बातों पर घर-परिवार के सदस्यों पर गुस्सा करने लग गये हैं।

मोबाइल आपके बच्चे से उसका बचपन ही नहीं छीन रहा है बल्कि उसे हिंसक भी बना रहा है। हरियाणा में 9 साल के एक बच्चे को इसकी इतनी बुरी लत थी कि उसने स्मार्टफोन छीने जाने की वजह से अपना हाथ काटने की कोशिश की। मोबाइल की लत का ये इकलौता मामला नहीं है। 12 साल का अविनाश मोबाइल के बिना एक पल नहीं रह सकता। उससे अगर मोबाइल छीन लिया जाये तो वो गुस्से में आ जाता है। ऐसी ही लत है भोपाल यूनिवर्सिटी की प्रिया को। उसे व्हाट्सऐप की ऐसी लत लगी कि वह पूरी रात जगी रह जाती है। अब वह इस लत से छुटकारा पाने के लिए मानसिक अस्पताल में काउन्सलिंग ले रही है। मोबाइल की लत से बच्चे आपराधिक भी होते जा रहे हैं और गलत कदम तक उठा रहे हैं। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में एक 16 वर्षीय लड़के ने अपनी माँ और बहन की हत्या कर दी क्योंकि बहन ने शिकायत कर दी थी कि भाई दिन भर मोबाइल फोन पर खतरनाक गेम खेलता रहता है और इसलिए माँ ने बेटे की पिटाई की, उसे डाँटा और उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल पर मारधाड़ वाले गेम खेलते रहने के आदी लड़के का गुस्सा इसी से बढ़ गया। इसी तरह कुछ महीनों पहले कोटा में एक 16 वर्षीय किशोर ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की जाँच पड़ताल में पता चला कि बच्चे को पबजी गेम खेलने की लत थी और दिनभर मोबाइल में गेम खेलता रहता था। जब घरवालों ने मोबाइल छीन लिया और देने से मना कर दिया तो यह गलत कदम उठा लिया। देश में बड़े अस्पतालों में मोबाइल की लत के शिकार लोगों के इलाज के लिए खास क्लीनिक हैं। और यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या जिनमें बच्चें बहुतायत में हैं, अब दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। मोबाइल और एप बनाने वाली कम्पनियाँ अपने मुनाफे के लिए कितनी अमानवीय हो गयी हैं कि यह सब जानते हुए भी लोगों को मानसिक रोग के गड्ढे में धकेल रही हैं। वे नये-नये गेम बनाकर मुनाफा बटोर रही हैं।

परिवार एवं समाज में जागरूकता अभियान के साथ सरकार को इस उभर रहे बड़े संकट पर ध्यान देना होगा। बच्चों को खेल, कला, संगीत और अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी दें और उन्हें साइबर अपराधों से बचने के तरीके सिखाएं। बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के बारे में सही जानकारी देना और उन्हें इसके नकारात्मक प्रभावों से बचाना जरूरी है।

घूँघट की बगावत

29 जून 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

..जब इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने पूरे देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया

मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करते वक्त विपक्षी दल एक आरोप बार-बार लगाते हैं। उनका कहना है कि देश पर इन दिनों अघोषित आपातकाल लागू है। दिलचस्प यह है कि यह आरोप लगाने वाले दलों में कांग्रेस भी शामिल है। स्वाधीन भारत के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर कुख्यात आपातकाल को आज ही के दिन ठीक पचास साल पहले इंदिरा गांधी की अगुआई वाली सरकार ने देश पर थोप दिया था। इसके बाद जैसे समूचा देश ही जेल के रूप में तब्दील हो गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 35 हजार लोग मीसा और लगभग 75 हजार लोग डीआरआई के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिए गए। जबरदस्ती नसबंदी कराई जाने लगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट की सफाई करने के नाम पर बुलडोजर चलाकर कई घर जमींदोज कर दिए गए। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। उस गोलीबारी में कितने लोग मारे गए, किसी भी सरकार ने आज तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।

अघोषित आपातकाल का आरोप जब कांग्रेस लगाती है तो प्रकारांतर से वह भी स्वीकार करती है कि आपातकाल गलत था। हालांकि अपनी इस गलती को अब तक वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है। आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे लोगों के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गैर कांग्रेसी सरकारों ने पेंशन की शुरूआत की। लेकिन जैसे ही इन राज्यों में कांग्रेसी सरकारें आईं, उन्होंने यह पेंशन बंद कर दी। इसका मतलब यह है कि वह आपातकाल को अब तक सही ही मानती है। अगर वह गलत मानती तो निश्चित तौर पर पेंशन को जारी रखती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें लौट आई हैं, लिहाजा वहां एक बार फिर पेंशन शुरू हो रही है, लेकिन कर्नाटक में अब भी पेंशन बंद है। जाहिर है कि ऐसा करके कांग्रेस मानती है कि आपातकाल सही था। अगर वह सही था तो फिर देश में अघोषित आपातकाल की चर्चा में उसके शामिल होने को सही कैसे ठहराया जा सकता है।

आपातकाल क्यों लगा, इस दौरान सरकार ने संविधान के तहत मिले जीवन के अधिकार तक को मुल्तवी क्यों कर दिया? इन सवालों के जवाब बार-बार दिए जा चुके हैं। बारह जून 1975 को दो घटनाएं ऐसी घटीं, जिसने इंदिरा गांधी को हिला दिया। इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के रायबरेली के चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोप को सही पाते हुए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही इसी दिन गुजरात में कांग्रेसी चिमन भाई पटेल की सरकार चुनावों में हार गई। इसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी सत्ता को बड़ी चुनौती मिली है। बेशक सिन्हा ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बीस दिनों का समय दिया, लेकिन इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने इस फैसले से बचाव का समानांतर रास्ता खोज लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा के फैसले पर रोक तो लगा दी, लेकिन इंदिरा गांधी को संसद में वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया। इसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर से देश पर आपातकाल थोप दिया गया। हैरत की बात यह है कि इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया। कैबिनेट की मंजूरी के बिना सीधे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करा लिया गया और कैबिनेट की रस्मी बैठक अगले दिन यानी छब्बीस जून को हुई। दिलचस्प यह है कि नियम-प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए समूचे देश को जेल बना देने वाले आपातकाल को गांधी जी के रचनात्मक शिष्य विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा था।

आपातकाल की पूर्व पीठिका में गुजरात से शुरू छात्रों के आंदोलन का पहले बिहार पहुंचना, उसमें जयप्रकाश नारायण का कूदना और सत्ता के साथ उनका व्यवस्था बदलने की अपील करना जैसी बड़ी वजहें रहीं। इक्कीस महीने तक देश पर लागू रहे आपातकाल ने लाखों लोगों को जैसे पिंजरे में कैद कर दिया। पुलिस की निरंकुशता बढ़ गई। न्याय व्यवस्था पंगु हो गई, नौकरशाही हावी रही। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की शह पर मनमानियां हुईं। प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई। इसकी वजह से सतह के तथ्य सामने नहीं आ पा रहे थे। देश के तमाम विपक्षी नेता जेलों में ठूंस दिए गए। इक्कीस महीने बाद जब आपातकाल हटा और देश में चुनाव हुए तो समूचे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया।

इंदिरा गांधी की सहयोगी रहीं पुपुल जयकर ने लिखा है कि आपातकाल के आखिरी दिनों में इंदिरा गांधी आध्यात्मिक गुरू जे कृष्णमूर्ति से मिलीं। उसके बाद उन्होंने देश से आपातकाल हटाने और चुनाव कराने का फैसला लिया। आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनावों में विपक्षी दलों के मोर्चे जनता पार्टी ने चुनाव जीता और देश से आपातकाल की काली छाया हटी। इंदिरा और उनकी कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ी। उनकी संसदीय लाज दक्षिण के राज्यों ने रखी।

आपातकाल का एक संदेश यह है कि अब कोई भी सरकार देश में दोबारा आपातकाल लागू करने की कोशिश नहीं कर सकती। अघोषित आपातकाल के आरोपों का बार झबार सामना करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कई बार इस तथ्य को दोहरा चुके हैं। आपाताकाल ने देश को अनुशासन में कितना ढाला, इसे लेकर शोध हो सकता है। लेकिन यह सच है कि घोषित तौर पर उसने नागरिक अधिकारों की हत्या की। भारत में चाहे जो भी शासन तंत्र रहे हों, लेकिन जीवन के अधिकार को राज सत्ता ने कभी अस्वीकार नहीं किया। लेकिन इंदिरा सरकार ने ऐसा किया।

आपातकाल का दूसरा संदेश यह है कि तानाशाही वाली राजनीति लोकतांत्रिक समाज में नहीं चल सकती। राजनेता को जनता के सामने झुकना पड़ेगा। अन्यथा, उसका हश्र इंदिरा जैसा ही होगा। यह बात और है कि महज ढाई साल पहले राजनीतिक खलनायिका बनी इंदिरा को इसी देश की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया। उनकी तानाशाही को महज ढाई साल बाद ही भूल गई और 1980 के चुनावों में देश की सत्ता सौंप दी। आपातकाल ने देश को व्यवस्था परिवर्तन का मौका दिया था। जनता ने विपक्षी खेमे को सत्ता इसी बदलाव की उम्मीद के साथ सौंपी थी। लेकिन वह महज सत्ता परिवर्तन रहा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं। उसी दौर के उभरे नेता आज जातिवादी राजनीति के महान पैरोकार बन चुके हैं। उन पर भ्रष्टाचार और कदाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, उन्हें सजाएं हुई हैं। वे आज बड़े और व्यापक भारतीय समाज की बजाय अपनी जातियों के नेता बने हुए हैं। चंद्रशेखर ने जेपी को उनके आंदोलन के दौरान एक चिट्ठी लिखकर चेताया था कि जो नेता उनके साथ आ रहे हैं, दरअसल वे व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, सत्ता की चाहत के लिए आ रहे हैं। भविष्य में वे अपनी-अपनी जातियों के नेता साबित होंगे। चंद्रशेखर की बात सही साबित हुई। इतनी कि आखिरी दिनों में उन्हें भी अपना राजनीतिक रसूख बनाए और बचाए रखने के लिए इन्हीं जातिवादी नेताओं का सहारा लेना पड़ा। आपातकाल जनता और राजनेता, दोनों वर्गों के लिए बड़ी सीख का सबब है। जनता को समझना होगा कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले नेताओं पर उसे ठोक-बजाकर भरोसा करना होगा। इसी तरह राजनीति को सोचना होगा कि अगर वह तानाशाह बनी तो उसका भी हश्र इंदिरा जैसा हो सकता है।

आपातकाल के दौरान कई फिल्मों को सेंसरशिप का सामना करना पड़ा

आपातकाल के 21 महीनों के दौरान सरकार ने कला और सिनेमा जगत पर कठोर सेंसरशिप लागू की थी। इस दौरान ऐसी कई फिल्मों को अपनी विषयवस्तु को लेकर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा था, जिनका निर्माण पूरा हो गया था या उन्हें बनाया जा रहा था। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान सरकार ने कला और सिनेमा जगत पर कठोर सेंसरशिप लागू की थी। इस दौरान ऐसी कई फिल्मों को अपनी विषयवस्तु को लेकर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा था, जिनका निर्माण पूरा हो गया था या उन्हें बनाया जा रहा था। यहां उन प्रमुख फिल्मों की सूची दी गई है जिन्हें आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित किया गया, जिन पर रोक लगायी गयी या जिन्हें सेंसरशिप का सामना करना पड़ाः

आंधी माना जाता है कि यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित है। गुलजार की 1975 में आयी इस फिल्म को रिलीज होने के कुछ समय बाद ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, फिल्म निमार्ताओं ने कहा कि यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन सुचित्रा सेन द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार आरती देवी और इंदिरा गांधी के बीच समानताओं को नजरअंदाज करना मुश्किल था, खासकर उनके बालों में सफेद धारियां। आपातकाल खत्म होने के बाद फिल्म से प्रतिबंध हटा लिया गया था। **किस्सा कुर्सी का** फिल्म निर्माता अमृत नाहटा द्वारा उस वक्त के राजनीतिक परिदृश्य पर व्यंग्य करते हुए बनाई गई इस फिल्म के नेगेटिव को नष्ट कर दिया गया था और इसके प्रिंट को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला ने जब्त कर लिया था, जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के करीबी थे। फिल्म का मुख्य किरदार गंगाराम संजय गांधी पर आधारित था और इसमें शबाना आजमी, राज बब्बर, राज किरण और उत्पल दत्त भी थे। नाहटा ने फिल्म को दोबारा बनाया और इसे 1978 में रिलीज किया। हालांकि, फिल्म के इस संस्करण को भी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा।

आंदोलन लेख टंडन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। यह एक भारतीय शिक्षक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गृहनगर में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू करता है। राकेश पांडे और नीतू सिंह अभिनीत इस फिल्म को आपातकाल के दौरान सेंसरशिप का सामना करना पड़ा।

चंदा मरुथा पी लंकेश के प्रिय नाटक **क्रांति बंटू क्रांति** पर आधारित यह कन्नड़ फिल्म आपातकाल लगने से ठीक पहले बनाई गई थी। इसका निर्देशन पट्टाभि राम रेड्डी ने किया था और इसमें उनकी पत्नी स्नेहलता रेड्डी ने अभिनय किया था। स्नेहलता को जेल में डाल दिया गया था और पैरोल पर रिहा होने के पांच दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी।

नसबंदी आई एस जौहर द्वारा निर्देशित यह फिल्म आपातकाल के दौरान चलाए गए जबरन नसबंदी अभियान पर व्यंग्य थी। इस फिल्म में उस समय के प्रमुख अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के **डुप्लीकेट** (हमशक्ल) थे। अपने विवादास्पद विषय के कारण फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन राजनीतिक माहौल बदलने के बाद 1978 में इसे रिलीज किया गया।

क्रांति की तरंगें आनंद पटवर्धन द्वारा बनाए गए पहले वृत्तचित्र में बिहार में जेपी आंदोलन की शुरूआत और 1975 में आपातकाल लागू होने से पहले यह कैसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, इस पर बात की गई थी। आनंद ने 1975 में जब यह फिल्म बनाई थी, तब उनकी उम्र सिर्फ.25 साल थी और उन्होंने उस समय जन आंदोलन और नागरिक अशांति को दिखाया था, जब मुख्यधारा का मीडिया सरकार के बढ़ते दबाव में था। आपातकाल के दौरान चोरी-चुपके व्यापक रूप से इसका प्रसार किया गया था।

निर्लज्जता की पराकाष्ठा : कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगी

भारतीय लोकतंत्र ने विश्व भर में प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हालांकि लोकतंत्र की इस समृद्ध यात्रा में आपातकाल जैसा एक कलंकित अध्याय भी जुड़ा है। 25 जून, 1975 की वो रात कौन भूल सकता है जिसे खासतौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 'तानाशाही' के रूप में जाना जाता है। ये वही रात थी जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आपातकाल की घोषणा की थी।

25 जून 2025 को कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर आपातकाल को थोपे हुए 50 वर्ष पूरे होंगे। इमरजेंसी में कांग्रेस की दुर्भावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने आज तक इसके लिए माफी नहीं मांगी। बीती 21 जून को पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, 'कांग्रेस को आपातकाल के लिए देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस को इसे लेकर पछतावा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इसके लिए माफी नहीं मांगी। अब जब देश में आपातकाल लागू हुए 50 साल होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से इस पर पछतावा होना चाहिए।'

20 नवंबर 2017 को आपातकाल के दौरान जेल काटने वाले पत्रकार कुलदीप नैयर का बीबीसी में प्रकाशित एक लेख आपातकाल को लेकर कांग्रेस के चरित्र का बखूबी चित्रण करता है। नैयर लिखते हैं, "आपातकाल किसी अपराध से कम नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। खासकर नेहरू-गांधी खानदान से अफसोस का एक शब्द भी नहीं कहा गया। गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने इसके विरोध में बयान जारी किया या विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपातकाल पर खामोश ही रही।"

माफी मांगने की बजाय इंदिरा गांधी के पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को आपातकाल पर गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है। "पूर्व पीएम ने यहां तक कहा था कि अगर इस देश का कोई प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में आपातकाल को जरूरी समझता है और आपातकाल लागू नहीं करता है तो वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। तानाशाही पर गर्व करने का यह कृत्य ही दशार्ता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है।" पूर्व पीएम राजीव गांधी का वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र को दर्शाता है।

आपातकाल की अवधि के बाद दो पीढ़ियां बड़ी हो चुकी हैं तो उन्हें इसकी भनक नहीं होगी कि तब देश में कितने खराब हालात रहे। बिना किसी अदालती कार्यवाही के संसद से विपक्षी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने खुद को ही कानून बना लिया था। इंदिरा गांधी में प्रतिशोध की भावना की सारी सीमाएं टूट गई थीं। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने देश के संवैधानिक संस्थाओं और मयार्दाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जुलाई 2015 में कहा कि, हमें क्यों माफी मांगनी चाहिए? हम क्यों आपातकाल पर चर्चा करें? मार्च 2021 को राहुल गांधी ने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में आपातकाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मुझे लगता है कि वह एक गलती थी बिलकुल, वह एक गलती थी। और

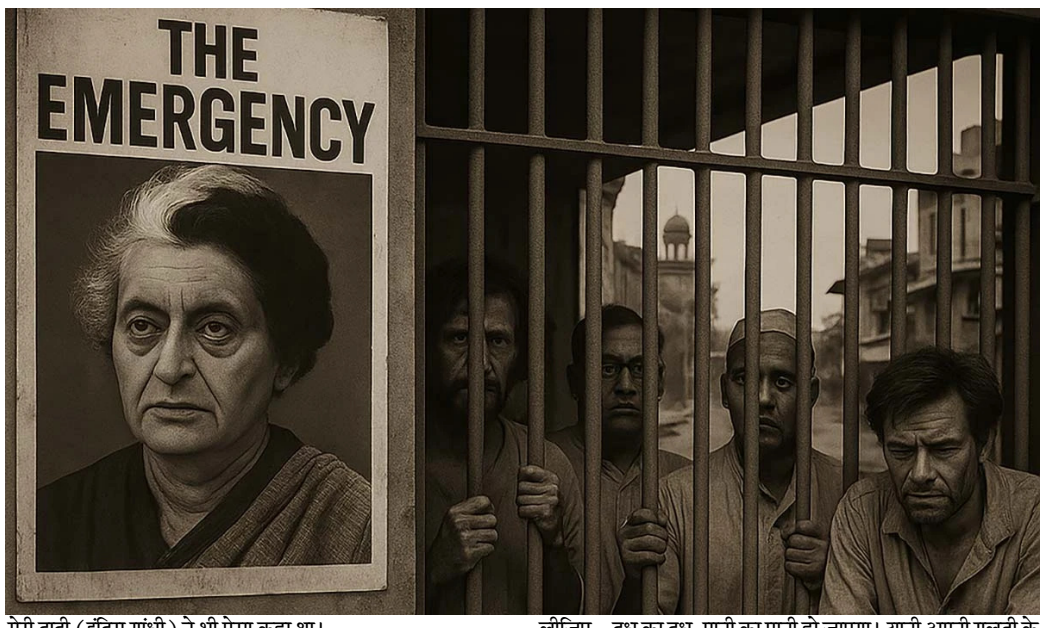

मेरी दादी (इंदिरा गांधी) ने भी ऐसा कहा था।

मई 2004 में ए इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन प्रधान संपादक शेखर गुप्ता के साथ बातचीत में सोनिया गांधी ने कहा था कि उनकी सास ने बाद में महसूस किया था कि यह एक गलती थी। सोनिया गांधी ने तब कहा था, ₹ठीक है, मेरी सास ने खुद चुनाव हारने के बाद (1977 में) कहा था कि उन्होंने उस (आपातकाल) पर पुनर्विचार किया था। और यह तथ्य कि उन्होंने चुनाव की घोषणा की, इसका मतलब है कि उन्होंने आपातकाल पर पुनर्विचार किया था।₹

बीते साल 25 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें आपातकाल को 'प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संविधान पर हमला' बताया गया। कांग्रेस सांसदों ने प्रस्ताव विरोध में कहा कि पांच दशक पुराने इस काले दौर का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आपातकाल को सही मानती है या फिर यह चाहती है कि लोकतंत्र को कलंकित करने और संविधान का निरादर करने वाले इस तानाशाही भरे कदम का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए?

निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए जिस कांग्रेस पार्टी के नेता ने केवल अपनी सत्ता कायम रखने के लिए आपातकाल लगाया, इन दिनों उसी पार्टी के नेता संविधान रक्षक होने का दावा करते घूमते हैं। 2024 के आम चुनाव से इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी लगातार संविधान की एक किताब को सार्वजनिक रूप से लहराकर यह दावा करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक संरक्षक है, जबकि सच्चाई यही है कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान के आत्मा को क्षति पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

दिसंबर 2024 को लोकसभा में संविधान पर विशेष बहस के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, उन्होंने (राजनाथ सिंह) 1975 (आपातकाल) के बारे में बात की तो सीख लीजिए न आप भी... आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए... आप भी बैलेट पर चुनाव कर लीजिए... दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यानी अपनी गलती के लिए माफी मांगने की बजाय सामने वाले को नसीहत देना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। प्रियंका ने भी वही किया जो उनकी पार्टी के नेता करते आए हैं।

नैयर लिखते हैं कि, "युद्ध के बाद के जर्मनी ने हिटलर के अत्याचारों के लिए माफी मांगी थी। यहां तक कि जर्मनी ने इसके लिए हजार्ना भी भरा था। ऐसे अत्याचारों के लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती, लेकिन लोगों को सामान्य तौर पर लगता है कि बच्चों को एहसास होगा कि उनके पूर्वजों ने गलती सुधारने की कोशिश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमृतसर स्वर्ण मंदिर गए थे और उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए माफी मांगी थी।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जून 2024 को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जो शब्द कहे थे, उससे कांग्रेस के मूल स्वरूप और चरित्र को जानना और समझना सरल हो जाता है। योगी जी ने कहा था कि, उस समय कांग्रेस का एक बर्बर चेहरा हम सभी को देखने को मिला था।

कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस ने उस समय बंधक बनाकर रख दिया था और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, चेहरा बदला हो, लेकिन उसका चरित्र वही है। आपातकाल के 45 साल बाद विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी का निर्णय गलत था। लेकिन देशवासियों से उन्होंने या कांग्रेस के किसी नेता ने आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगी। कांग्रेस नेता गाहे–बगाहे आपातकाल पर गुमराह करने और बेशर्मी से इस अमानवीय फैसले को सही साबित करते रहते हैं। लेकिन वे अपनी पार्टी के नेता द्वारा लिए गए एक घोर अलोकतांत्रिक और संविधान का गला घोंटने वाले निर्णय, अमानुषिक और तानाशाही रवैये के लिए माफी मांगने का नैतिक और राजनीतिक साहस जुटा नहीं पाते हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com